न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 96/2023

वादीगण :-

1. तेजाराम पुत्र अमोलकराम
2. मिजना देवी पत्नी तेजाराम जातियान पटेल धोकलिया बेरा पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मालाराम पुत्र अमोलकराम
2. लक्ष्मणराम पुत्र अमोलकराम
3. रूपाराम पटेल पुत्र कालूराम
4. सुरेश पुत्र कालूराम
5. संतोष पुत्री कालूराम
6. रामप्यारी पत्नी कालूराम जातियान पटेल निवासीगण धोकलिया बेरा पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. प्रबन्धक जयपुर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादी - श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या- 1, 2, 4 से 6- श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता,
प्रतिवादी सं.-3 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या -8 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :- 5/5/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा सुद भूमि ग्राम पिचियाक की राजस्व सीमा में खसरा सं. 823/2 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय की स्थित है, जिसमें वादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, व प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 6 का 1/5 हिस्सा स्थित है। उक्त खसरे की भूमि को आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता सं. 466 पेश है। वादग्रस्त भूमि में वादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, व प्रतिवादी, सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 6 का 1/5 हिस्सा स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर अलग-अलग काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं किया गया है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार माप व सीमा ज्ञान कर बंटवाड़ा किया जाकर कानूनन राजस्व रेकर्ड व आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाना चाहते है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि में समय-समय पर सुधार कार्य करवाते रहे है, अब और सुधार कार्य करवाने हेतु अपने हिस्से को अलग करवाकर भूमि में सुधार कार्य करवाकर जमीन को उपजाऊ व कीमती बनाना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा बाबत् प्रस्ताव कई बार रखा लेकिन किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर टालम टोल करते रहे। वादीगण ने दिनाक 05-09-2023 को हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर अलग-अलग दर्ज करवाने की बात प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिंवादीगण ने ऐलानिया बंटवाड़ा करने से मना कर दिया। वादीगण को राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का पूर्णरूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि में मौके पर आपसी सहमति से करीब 30

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

वर्षों पूर्व किये गये आपसी सहमति से बंटवाड़ा अनुसार मौके पर काश्त व उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में जरूरी है। इसलिये वाद बंटवाड़ा पेश है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। मौके पर नाप चौप कर आपसी सहमति से पक्षकारों द्वारा बंटवाड़ा किया हुआ है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाना शेष है। वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का यादीगण को जबरदस्ती उपयोग व उपभोग नहीं करने देगें तथा किसी भी सूरत में राजस्व रेकर्ड व भौके पर बंटवाड़ा नहीं होने देगे, ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न नहीं करें जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी है। इसलिये वाद बाबत स्थाई निषेद्याज्ञा का पेश है। प्रतिवादी सं. 7 प्रबन्धक जयपुर थार आंचलिक बैंक बिलाड़ा से से ऋण प्राप्त करने से रहन दर्ज होने पर औपचारिक पक्षकार बनाये गये है इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 8 तहसीलदार बिलाड़ा सरकार के प्रतिनिधि व भूमिधारी होने व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 05-09-2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मौके पर स्थित हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग दर्ज कराने की बात करने पर व प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से मना करने पर ग्राम पिचियाक में उत्पन्न हुआ।

अन्त में निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद के पद सं. 1 एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से किये गये वादीगण व प्रतिवादीगण के बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किया जाकर प्रत्येक के हिस्से अनुसार अलग अलग तरमीम की जावें तथा लगान अलग-अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज कराया जावें। वाद के पद सं. 1 एक में वर्णित वादग्रस्त भूमि में स्थित वादीगण के हिस्से की कब्जा काश्त व उपयोग की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण व उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि को हमेशा के वास्ते जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से रोका जावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा व प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद दिनांक 05.2.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 823/2 रकबा 0.3479 में वादी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 1/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 का 1/20 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 का 1/20 वां हिस्से का वादीगण व प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	तेजाराम पुत्र अमोलकराम जाति पटेल सा.देह रहन-जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा	823/2	0.0695
	कुल योग	1	0.0695

2	मिजनादेवी पत्नी तेजाराम जाति पटेल सा.देह खातेदार रहन- जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बिलाडा	823/2	0.0696
	कुल योग	1	0.0696
3	मालाराम पुत्र अमोलकराम जाति पटेल सा देह खातेदार	823/2	0.0696
4	लक्ष्मणराम पुत्र अमोलकराम जाति पटेल सा.देह खातेदार	823/2	0.0696
5	रूपाराम पटेल पुत्र कालूराम 1/4 सुरेश पुत्र कालूराम 1/4 संतोष पुत्री कालूराम 1/4 रामप्यारी पत्नी कालूराम 1/4 हिस्सा जाति पटेल सा देह खातेदार	823/2	0.0696

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। तहसीलदार बिलाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 06.03.2025 के अनुसार वादीगण के वाद व प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 06.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**
तेजाराम वगैराह मालाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :- **96/2023**

निर्णय **दिनांक :-** 5/5/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या- 1, 2, 4 से 6- श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.-3 व 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या -8 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के वाद व प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादी तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 06.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा